

**कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
छत्तीसगढ़ रायपुर**

क्रमांक / आ.ला.पो.मै.छा . / 101 / 2018-19 / 10570

रायपुर, दिनांक 21/02/19

**वर्ष 2018-19 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए
आनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन में तिथि वृद्धि हेतु विज्ञप्ति**

छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कॉलेज, आई.टी.आई., पॉलिटेक्निक आदि के संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों जिनको विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण की पात्रता है को सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र 2018-19 हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के आवेदन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही tribal.cg.gov.in/escholarship वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रारंभ की जा चुकी है। पोर्टल में पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण एक बार सभी प्रक्रियाओं की तिथि में वृद्धि की जा चुकी है। किंतु पोर्टल का अवलोकन करने पर यह ज्ञात हो रहा है कि तिथि वृद्धि के पश्चात् भी कई विद्यार्थियों द्वारा आवेदन नहीं किया गया है।

अतः शेष विद्यार्थियों हेतु आवेदन करने एवं संस्थाओं को प्रस्ताव/स्वीकृति लाक करने हेतु निम्नानुसार समय-सीमा में वृद्धि की गई है :-

क	प्रक्रिया	अंतिम तिथि
1	विद्यार्थी द्वारा आनलाइन आवेदन हेतु (नवीन एवं नवीनीकरण)	दिनांक 31.01.2019 से 28.02.19 तक
2	Draft Proposal Lock करने हेतु	दिनांक 31.01.19 से 15.03.19 तक
3	Sanction Order Lock करने हेतु	दिनांक 31.01.19 से 25.03.19 तक
4	संस्थाओं द्वारा KYC जना करने हेतु	दिनांक 30.03.19 तक

निर्धारित तिथियों के पश्चात् शिक्षा सत्र 2018-19 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन स्वीकृत नहीं किये जावेंगे एवं draft proposal अथवा sanction order lock करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जायेगा। उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे।

नोट :- पोस्ट मैट्रिक (कक्षा 12वीं से उच्चतर) अनु.जनजाति वर्ग के जिन विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में National Scholarship Portal (scholarships.gov.in) पर आवेदन किया जा चुका है, उन्हें भी पुनः विभाग की वेबसाइट (tribal.cg.gov.in/escholarship) पर आवेदन करना अनिवार्य है। उनको केवल इसी पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदाय की जायेगी।

(एलेक्स पॉल मेनन)

संचालक

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
छत्तीसगढ़, रायपुर